5564/2019 में पारित आदेश के आलोक में निर्गत राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् का पत्रांक 112852 दिनांक 04.08.2022 प्रभावी होगा।

(ख) ऐसे अभ्यर्थी, जिन्हें शिक्षक पात्रता परीक्षा में भाग लेने की अनुमति प्रदान की गई हो, से तात्पर्य नहीं होगा कि उनकी अर्हता निर्धारित योग्यता के अनुरूप सत्यापित है। उनके अभ्यर्थित्व का अंतिम सत्यापन सहायक आचार्य (वर्ग 01–05 एवं वर्ग 06–08) तथा विशेष प्रशिक्षित सहायक आचार्य (वर्ग 01–05 एवं वर्ग 06–08) के लिए निर्गत नियमावली में घोषित नियुक्ति प्राधिकार, संबंधित जिला शिक्षा अधीक्षक के पास सुरक्षित रहेगा।

(ग) कोई भी अभ्यर्थी अपने प्राप्तांक में सुधार के लिए एक से अधिक बार परीक्षा में शामिल हो सकेगा।

(घ) आयु सीमा : झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा में शामिल होने हेतु शिक्षक पात्रता परीक्षा के आयोजन वर्ष के 01 अगस्त को अभ्यर्थियों की न्यूनतम आयु 21 वर्ष एवं अधिकतम आयु कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, झारखंड, राँची द्वारा सरकारी सेवा में निर्धारित आयु सीमा के अंतर्गत होगा।

परन्तु (i) झारखंड शिक्षा परियोजना परिषद्, राँची के अंतर्गत कार्यरत सहायक अध्यापक (पारा शिक्षक) जिनकी सेवा परीक्षा हेतु विज्ञापन प्रकाशन की तिथि को न्यूनतम एवं लगातार दो वर्ष की हो गई हो एवं विज्ञापन प्रकाशन की तिथि को कार्यरत हों की संविदा कर्मी के रूप में कार्य करने की अवधि के बराबर अवधि तक अधिकतम उम्र सीमा में छूट दी जायेगी, जो कि अधिकतम उम्र 58 वर्ष तक मान्य होगा।

(ii) सभी अभ्यर्थियों को पिछली पात्रता परीक्षा एवं आगामी पात्रता परीक्षा के बीच के अंतराल अवधि में एक वर्ष छोड़कर अधिकतम उम्र सीमा में छूट प्रदान की जायेगी।

उदाहरणस्वरूप– यदि झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा वर्ष 2016 में होने के उपरांत द्वितीय परीक्षा 2026 में हो, तो एक वर्ष घटाने के उपरांत अधिकतम नौ वर्ष की छूट एकबारीय (One Time) अवसर के रूप में दी जाएगी।

11. झारखंड शिक्षक पात्रता जाँच परीक्षा का स्वरूप निम्नवत् होगा –

(क) पात्रता जाँच परीक्षा के दो स्तर यथा प्राथमिक विद्यालय स्तर एवं उच्च प्राथमिक विद्यालय स्तर के होंगे और कोई अभ्यर्थी दोनों स्तर की परीक्षा में सम्मिलित हो सकेगा।

(i.) कक्षा 1 से 5 के लिए प्राथमिक विद्यालय स्तर

(ii.) कक्षा 6 से 8 के लिए उच्च प्राथमिक विद्यालय स्तर

MKA

Scanned with OKEN Scanner

(ख) प्रत्येक स्तर की परीक्षा में एक समेकित प्रश्न पत्र होगा जिसकी परीक्षा अवधि निम्नवत होगी–

- i) प्राथमिक कक्षा (1 से 5) – 2 घंटा 30 मिनट।
- ii) उच्च प्राथमिक कक्षा (6 से 8) – 2 घंटा 30 मिनट।
- iii) दृष्टि बाधित दिव्यांग, सी.पी. (Cerebral Palsy) दिव्यांग एवं दोनों हाथों से दिव्यांग अभ्यर्थियों को 30 मिनट का अतिरिक्त समय प्रदान किया जायेगा एवं Scribe की व्यवस्था की जाएगी।

(ग) परीक्षा बहुविकल्पीय प्रश्नों की होगी और इसमें अंकों की ऋणात्मक गणना नहीं की जाएगी।

(घ) कक्षा 1 से 5 के लिए पात्रता जाँच परीक्षा का स्वरूप निम्नवत् होगा :

खण्ड	विषय	बहु–विकल्पीय प्रश्नों की संख्या	पूर्णांक
I.	बाल विकास एवं शिक्षण पद्धति (अनिवार्य)	30	30
II.	**भाषा–I** हिन्दी / संस्कृत / उर्दू / अंग्रेजी में से कोई दो भाषा (सहायक आचार्य (उर्दू) / विशेष प्रशिक्षित सहायक आचार्य (उर्दू)) के लिए उपर्युक्त में से एक विषय उर्दू का चयन अनिवार्य होगा।)	**30**	**30**
III.	**भाषा–II** नियमावली के अनुसूची–I में उल्लेखित क्षेत्रीय / जनजातीय भाषाओं में से कोई एक भाषा।	30	30
	गणित	30	30
	पर्यावरण अध्ययन	30	30
	कुल–	**150**	**150**

नोटः परीक्षा में उत्तीर्ण अभ्यर्थियों (कक्षा 1 से 5 के लिए) को झारखंड अधिविद्य परिषद्, राँची अथवा राज्य सरकार द्वारा प्राधिकृत प्राधिकार द्वारा निर्गत प्रमाण–पत्र में अभ्यर्थियों द्वारा उनकी अर्हता के अनुरूप चयनित किये गये विकल्पों, यथा–सहायक आचार्य (कक्षा 1–5) / विशेष प्रशिक्षित सहायक आचार्य (कक्षा 1–5) / दोनों (सहायक आचार्य (कक्षा 1–5) एवं विशेष प्रशिक्षित सहायक आचार्य (कक्षा 1–5)) / सहायक

Scanned with OKEN Scanner

आचार्य (उर्दू) (कक्षा 1–5)/विशेष प्रशिक्षित सहायक आचार्य (उर्दू) (कक्षा 1–5)/दोनों (सहायक आचार्य (उर्दू) (कक्षा 1–5) एवं विशेष प्रशिक्षित सहायक आचार्य (उर्दू) (कक्षा 1–5)) तथा चयनित भाषा–II का स्पष्ट रूप से उल्लेख किया जाएगा।

(ड़) कक्षा 6 से 8 के लिए निम्नवत् अहर्त्ता जाँच परीक्षा ली जाएगी :

खण्ड	विषय			बहु–विकल्पीय प्रश्नों की संख्या	पूर्णांक
1	अनिवार्य	I.	बाल विकास एवं शिक्षण पद्धति (अनिवार्य)	30	30
		II.	भाषा–I हिन्दी/संस्कृत/उर्दू/अंग्रेजी में से कोई दो भाषा (सहायक आचार्य(उर्दू)/विशेष प्रशिक्षित सहायक आचार्य (उर्दू) के लिए उपर्युक्त में से एक विषय उर्दू का चयन अनिवार्य होगा।)	30	30
		III.	भाषा–II नियमावली के अनुसूची–I में उल्लेखित क्षेत्रीय/जनजातीय भाषाओं में से कोई एक भाषा।	30	30
2	वैकल्पिक	IV.	(a) गणित एवं विज्ञान शिक्षक:		
			गणित एवं विज्ञान से संबंधित प्रश्न	50	50
			कम्प्यूटर की सामान्य जानकारी	10	10
			(b) सामाजिक विज्ञान शिक्षक:		
			समाज अध्ययन से संबंधित प्रश्न	50	50
			कम्प्यूटर की सामान्य जानकारी	10	10
			(c) भाषा शिक्षक/ अन्य शिक्षक: IV(a) अथवा IV(b) में से कोई एक		
			कुल–	150	150

नोट: परीक्षा में उत्तीर्ण अभ्यर्थियों (कक्षा 6 से 8 के लिए) को झारखंड अधिविद्य परिषद्, राँची अथवा राज्य सरकार द्वारा प्राधिकृत प्राधिकार द्वारा निर्गत प्रमाण–पत्र में अभ्यर्थियों द्वारा उनकी

MKA

Scanned with OKEN Scanner

अर्हता के अनुरूप चयनित किए गए विकल्पों, यथा–सहायक आचार्य (कक्षा 6–8)/विशेष प्रशिक्षित सहायक आचार्य (कक्षा 6–8)/दोनों (सहायक आचार्य (कक्षा 6–8) एवं विशेष प्रशिक्षित सहायक आचार्य (कक्षा 6–8)) सहायक आचार्य (उर्दू) (कक्षा 6–8)/विशेष प्रशिक्षित सहायक आचार्य (उर्दू) (कक्षा 6–8)/दोनों (सहायक आचार्य (उर्दू) (कक्षा 6–8) एवं विशेष प्रशिक्षित सहायक आचार्य (उर्दू) (कक्षा 6–8)) चयनित भाषा–II तथा चयनित वैकल्पिक विषय (गणित एवं विज्ञान शिक्षक या सामाजिक विज्ञान शिक्षक) का स्पष्ट रूप से उल्लेख किया जाएगा।

(च) प्रश्न पत्र हिन्दी एवं अंग्रेजी दोनों भाषाओं में होंगे और परीक्षा का माध्यम हिन्दी या अंग्रेजी होगा। अन्य भाषा विषयों के प्रश्न पत्र संबंधित भाषा में होंगे।

(छ) प्राथमिक विद्यालय कक्षाओं के शिक्षकों के अहर्ता जाँच परीक्षा के प्रश्न राज्य सरकार द्वारा अनुमोदित पाठ्यक्रम के अनुसार कक्षा 1 से 5 के सिलेबस पर आधारित होंगे। किन्तु इसकी कठिनाई का स्तर माध्यमिक/मैट्रिक या समकक्ष होगा।

(ज) उच्च प्राथमिक विद्यालय कक्षाओं के शिक्षकों के अहर्ता जाँच परीक्षा के प्रश्न राज्य सरकार द्वारा अनुमोदित पाठ्यक्रम के अनुसार कक्षा 6 से 8 के सिलेबस पर आधारित होंगे। किन्तु इसकी कठिनाई का स्तर उच्चतर माध्यमिक/+2 या समकक्ष होगा।

(झ) परीक्षार्थियों से यह अपेक्षा होगी कि संबंधित भाषा एवं उसके व्याकरण की जानकारी हो एवं उस भाषा में वे शुद्ध–शुद्ध अभिव्यक्त कर सकते हों।

(ञ) परीक्षा में उत्तीर्णता हेतु निम्नवत् प्रतिशत अंक प्राप्त करना अनिवार्य होगा :–

क्र0	वर्ग	कुल प्राप्तांक न्यूनतम (प्रतिशत)
1	सामान्य वर्ग/आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS)	60
2	पिछड़ा वर्ग–1/पिछड़ा वर्ग–2	55
3	अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूह/दिव्यांग	52

12. परीक्षा हेतु परीक्षा शुल्क का निर्धारण राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित प्राधिकार/परीक्षा प्राधिकार के द्वारा किया जायेगा।

13. परीक्षा में उत्तीर्ण अभ्यर्थियों को राज्य सरकार द्वारा प्राधिकृत परीक्षा प्राधिकार के द्वारा प्रमाण पत्र निर्गत किया जायेगा, जिसकी वैधता आजीवन रहेगी। यह प्रावधान झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा–2013 एवं 2016 के प्रमाण–पत्र पर भी लागू होगा।

Scanned with OKEN Scanner

14. नियम–11 (ड़) के खंड–(2) (iv) के अधीन अंकित क्रमशः (a) एवं (b) श्रेणी में झारखण्ड शिक्षक पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण अभ्यर्थी उच्च प्राथमिक विद्यालय के अन्तर्गत गणित एवं विज्ञान सहायक आचार्य या सामाजिक विज्ञान या भाषा विषय सहायक आचार्य पद के विरूद्ध उसी अनुरूप नियुक्ति की परीक्षा में भाग ले सकेंगे, जैसा कि नियम–11 (ड़) के खण्ड–(2) (iv) में वैकल्पिक विषय के रूप में परीक्षा दी है।

15. झारखण्ड शिक्षक पात्रता परीक्षा में उत्तीर्णता के आधार पर सहायक आचार्य/विशेष शिक्षा सहायक आचार्य पद पर नियुक्ति का दावा/अधिकार मान्य नहीं होगा। यह मात्र एक पात्रता जाँच परीक्षा है।

16. शिक्षक पात्रता परीक्षा आयोजित करने वाला प्राधिकार नियमानुसार वार्षिक अथवा द्विवार्षिक अवधि पर परीक्षा आयोजित करने हेतु उत्तरदायी होगा।

17. पात्रता परीक्षा में कदाचार के आरोपित अभ्यर्थी को अगले दो परीक्षा तक पात्रता परीक्षा में सम्मिलित होने से वंचित करने का अधिकार परीक्षा प्राधिकार को होगा।

18. पात्रता परीक्षा से संबंधित सभी अभिलेखों को न्यूनतम सात साल तक सुरक्षित/ संधारित करने का दायित्व परीक्षा प्राधिकार का होगा।

19. माननीय उच्चतम् न्यायालय द्वारा सिविल अपील सं. 1385/2025, ANJUMAN ISHAAT-E-TALEEM TRUST Vs. THE STATE OF MAHARASHTRA & ORS. एवं समरूप वाद में दिनांक 01.09.2025 को सेवारत शिक्षकों के संबंध में शिक्षक पात्रता परीक्षा के लागू होने के संबंध में पारित आदेश के अनुपालन में मानव संसाधन विकास विभाग (प्राथमिक शिक्षा निदेशालय), झारखण्ड सरकार की अधिसूचना सं. 1632 दिनांक 05.09.2012, जिसके द्वारा सर्वप्रथम झारखण्ड शिक्षक पात्रता परीक्षा का प्रावधान लागू किया गया था, के पूर्व नियुक्त सहायक शिक्षकों/सहायक अध्यापकों (पारा शिक्षकों), जिनकी सेवावधि दिनांक 01.09.2025 की तिथि को 05 वर्ष से अधिक शेष है अथवा सहायक शिक्षकों, जिनका पदोन्नति (ग्रेड–4 अथवा ग्रेड–7) के विरुद्ध दावा है, भी आयोजित झारखण्ड शिक्षक पात्रता परीक्षा के लागू स्तर (प्राथमिक विद्यालय/उच्च प्राथमिक विद्यालय स्तर) में सम्मिलित हो सकेंगे। राज्य सरकार द्वारा आवश्यक पाए जाने पर, सेवारत सहायक शिक्षकों/सहायक अध्यापकों (पारा शिक्षकों) हेतु पुनः झारखण्ड शिक्षक पात्रता परीक्षा का आयोजन किया जा सकेगा।

माननीय उच्चतम् न्यायालय के उपर्युक्त निर्णय के संबंध में *R.P.(C) Diary No. 53434/2025, STATE OF U.P. Vs. ANJUMAN ISHAAT-E-TALEEM TRUST* एवं अन्य समरूप 35 पुनर्विचार याचिकाएँ दायर की गयी हैं, जिसमें पारित आदेश से राज्य सरकार का उपर्युक्त निर्णय प्रभावित होगा।

MKA

Scanned with OKEN Scanner

अध्याय–3 अन्यान्य

निरसन एवं व्यावृत्ति :

20. नियमावली के प्रावधानों को प्रभावी करने में किसी प्रकार की कठिनाई उत्पन्न होने पर राज्य सरकार उस कठिनाई को दूर करने के लिये ऐसी कार्रवाई या आदेश पारित कर सकेगी, जो आवश्यक प्रतीत होता हो तथा ऐसी की गयी कार्रवाई या आदेश इस नियमावली के अंग माने जायेंगे।

21. इस नियमावली के प्रभावी होने के तिथि से झारखण्ड शिक्षक पात्रता परीक्षा नियमावली–2019 (अधिसूचना संख्या–1603 दिनांक 04.10.2019), झारखण्ड शिक्षक पात्रता परीक्षा (संशोधन) नियमावली–2022 (अधिसूचना संख्या–253 दिनांक 18.02.2022) एवं झारखण्ड शिक्षक पात्रता परीक्षा (द्वितीय संशोधन) नियमावली–2024 (अधिसूचना संख्या–783 दिनांक 15.06.2024) को निरसित समझा जायेगा।

परन्तु, ऐसे निरसन के होते हुए भी ऐसे नियमों एवं आदेशों द्वारा या उनके अधीन की गयी कोई कार्रवाई, इस नियमावली द्वारा या इसके अधीन किया गया था या की गयी समझी जायेगी, मानों यह नियमावली उस दिन प्रवृत्त थी, जिस दिन वैसा कुछ भी किया गया था या वैसी कार्रवाई की गई थी।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से

26/03/26

(उमा शंकर सिंह)
सरकार के सचिव

ज्ञापांक ....487..../ राँची, दिनांक 26/03/2026

प्रतिलिपि :– अधीक्षक, राजकीय मुद्रणालय डोरण्डा, राँची को झारखण्ड गजट के आगामी असाधारण अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित। उनसे अनुरोध है कि अधिसूचना की 600 प्रतियाँ अविलम्ब स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग (प्राथमिक शिक्षा निदेशालय) झारखण्ड राँची को उपलब्ध कराने की कृपा की जाय।

26/03/26

(उमा शंकर सिंह)
सरकार के सचिव

ज्ञापांक ....487..../ राँची, दिनांक 26/03/2026

प्रतिलिपि :– झारखण्ड राज्य के महामहिम राज्यपाल के प्रधान सचिव/माननीय मुख्य मंत्री के प्रधान सचिव/मुख्य सचिव, झारखण्ड/सभी विभाग के प्रधान सचिव/सचिव/सभी विभागाध्यक्ष/सभी प्रमण्डलीय आयुक्त/सभी उपायुक्त/सभी क्षेत्रीय उप शिक्षा निदेशक/सभी

MKA

Scanned with OKEN Scanner